न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भीण्डर, जिला – उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री पर्वत सिंह चुण्डावत R.A.S.

GCMS प्रकरण संख्या 2023/216

प्रकरण संख्या 63/23

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम 1956

अनवान

श्रीमती मोहन कूंवर वगैराह   बनाम   तहसीलदार भीण्डर

निर्णय

दिनांक : 26.09.2023

1. प्रार्थीया श्रीमती मोहन कुंवर पत्नी सुखदेव सिंह राजपुत निवासी भीण्डर द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू.–राजस्व अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि राजस्व ग्राम भीण्डर, पटवार हल्का भीण्डर की जमावन्दी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 1422 में आराजी संख्या 3145 रकबा 0–18–15, आराजी संख्या 3146 रकबा 0–14, आराजी संख्या 3147 रकबा 0–02–15 कुल किता 3 कुल रकबा 1–05–10 बीघा भूमि प्रार्थी के खातेदारी में शामलाती दर्ज थी किन्तु हाल ही नये नक्शें में आराजी संख्या 3771 रकबा 0.3800 हैक्टेयर भूमि मोहन कुंवर पत्नि सुखदेव सिंह 10/19 राजपूत वरदीचन्द पिता धूलचन्द 1/19 कुमावत, शंकरलाल पिता बाबरू 1/19 जाति लोहार, संध्या पत्नि गिरीश 7/19 ब्राह्म्ण के नाम दर्ज है जो क्षेत्रफल में सही है किन्तु मौके पर आराजी संख्या 3770 प्रार्थीया का होने के बावजूद अन्य खातेदार ललितशंकर को दे दिया गया जिससे प्रार्थीया की भूमि विक्रय में समस्या आ रही है। अतः प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थीया के आराजी संख्या 3770 प्रार्थीया के नाम पर भू–प्रबन्धन के पूर्वानुसार दर्ज करवाया जाये जिससे सभी खातेदारों को पूर्व रेकर्ड अनुसार तथा मौके पर काबिज अनुसार दर्ज करवाया जाये।

2. उक्त प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा खाता शुद्धि करने हेतु प्रकरण अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 प्रस्तुत कर निवेदन किया है राजस्व ग्राम भीण्डर, पटवार हल्का भीण्डर कि बंदोबस्त पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 की खाता संख्या 1422 की आराजी संख्या 3145/1 , रकबा 1–02–05 व आराजी संख्या 3147–1 रकबा 0–0–05 किता 2 कुल रकबा 0–02–10 बीघा भूमि खातेदार ललितशंकर पिता गिरधरलाल आमेटा जाति ब्राह्म्ण निवासी भीण्डर के नाम दर्ज रेकर्ड था। तथा खाता संख्या 1566 के आराजी संख्या 3146 रकबा 0–14 बीघा में खातेदार संध्या पत्नि गिरीश चौबिसा 10/19 जाति ब्राह्म्ण, शंकरलाल पिता बाबरू 1/19 जाति लौहार तथा मोहन कुंवर पत्नि सुखदेव सिंह 8/19 जाति राजपुत के नाम दर्ज रेकर्ड था। तथा खाता संख्या 1567 की आराजी संख्या 3147 रकबा 0–02–15 बीघा भूमि में खातेदार संध्या पत्नि गिरीश चौबिसा 18/19 जाति ब्राह्म्ण व शकरलाल पिता बाबरू 1/19 जाति लौहार दर्ज रेकर्ड था एवं खाता संख्या

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.11.01 15:49:15 IST
Reason: SelfAttested

1568 में आराजी संख्या 3145 रकबा 0–18–15 बीघा में खातेदार संध्या पत्नि गिरीश चौबिसा 30/190 जाति ब्राह्म्ण व शकरलाल पिता बाबरू 1/19 जाति लोहार व वरदीचन्द पिता धूलचन्द 1/10 जाति कुमावत व मोहनकुंवर पत्नि सुखदेव सिंह 131/190 जाति राजपूत दर्ज रेकर्ड था।

3. बन्दोबस्त के बाद नवीन भू–प्रबन्ध अनुसार साबिक आराजी संख्या 3145/1 रकबा 0–02–05 , अराजी संख्या 3147/1 रकबा 0–0–05 किता 2 कुल रकबा 0–02–10 के बजाय नवीन जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 1524 की आराजी संख्या 3770 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि खातेदार ललितशंकर पिता गिरधरलाल आमेटा जाति ब्राह्म्ण निवासी के नाम दर्ज रेकर्ड है।

4. साबिक खसरा संख्या 3145 रकबा 0–18–15 बीघा, खसरा संख्या 3146 रकबा 0–14, खसरा संख्या 3147 रकबा 0–02–15 बीघा किता 3 कुल रकबा 1–15–10 बीघा को शामिल करके नवीन जमाबन्दी संवत् 2078 –81 के खाता संख्या 1718 की आराजी संख्या 3771 रकबा 0.3800 हैक्टैयर बनाया गया जिसके वर्तमान में खातेदार मोहनकुंवर पत्नि सुखदेव सिंह हिस्सा 10/19 जाति राजपुत व वरदीचन्द पुत्र धुलचन्द हिस्सा 1/19 जाति कुमावत, शंकरलाल पुत्र बाबरू हिस्सा 1/19 जाति लोहार व संध्या पत्नि गिरीश हिस्सा 7/19 जाति ब्राह्म्ण के नाम साबिक अनुसार हिस्से दर्ज कर खाता बनाया गया है।

5. तहसीलदार भीण्डर ने बताया कि खातेदार ललितशंकर पिता गिरधरलाल आमेटा जाति ब्राह्म्ण निवासी भीण्डर का वर्तमान में मकान बना हुआ है जो नवीन रिकार्ड अनुसार आराजी संख्या 3771 रकबा 0.3800 हैक्टेयर के दक्षिणी पूर्वी कोने में बना हुआ है तथा उक्त खसरे में खातेदार ललितशंकर पिता गिरधरलाल आमेटा का नाम दर्ज नही है जबकि साबिक रेकर्ड अनुसार खातेदार ललितशंकर पिता गिरधरलाल आमेटा जाति ब्राह्म्ण निवासी भीण्डर का मकान बिल्कूल सही होकर आराजी संख्या 3145 व 3147 में बना हुआ है तथा साबिक नक्शे में आराजी संख्या 3145/1 व 3147/1 के स्थान के बजाय इनसे बने हाल आराजी संख्या 3770 रकबा 0.0300 हैक्टेयर का स्थान अलग जगह बताया गया है। नवीन नक्शे में जहां खातेदार ललितशंकर पिता गिरधरलाल आमेटा जाति ब्राह्म्ण निवासी भीण्डर का आराजी संख्या 3770 रकबा 0.0300 हैक्टेयर बताया गया है वो भूमि मौके पर खातेदारान द्वारा मोहनकुंवर पत्नि सुखदेव सिह 10/19 जाति राजपुत, वरदीचन्द पिता धूलचन्द हिस्सा 1/19 जाति कुमावत, शंकरलाल [illegible] हिस्सा 1/19 जाति लोहार, संध्या पत्नि गिरीश हिस्सा 7/19 जाति [illegible] है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.11.01 16:49:15 IST
Reason: SelfAttested

6. अतः तहसीलदार भीण्डर ने रिपोर्ट [illegible] कि मौका निरीक्षण व रिकार्ड अवलोकन से स्पष्ट है कि वर्तमान आराजी [illegible] 3770 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि को खातेदार ललितशंकर पिता गिरधरलाल आमेटा जाति ब्राह्म्ण निवासी भीण्डर के वजाय खातेदार मोहनकुंवर पत्नि सुखदेव सिंह 10/19 जाति राजपूत, वरदीचन्द पिता धूलचन्द 1/19 जाति कुमावत, शंकरलाल पिता बाबरू 1/19 जाति लोहार व संध्या पत्नि

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर जिला–उदयपुर (राज.)

गिरीश 7/19 जाति ब्राह्म्ण के नाम तथा इसके बदले आराजी संख्या 3771 रकबा 0.3800 हैक्टैयर में से रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि प्रस्तावित नक्शा ट्रेस परिशिष्ट बी अनुसार खातेदार मोहनकुंवर पत्नि सुखदेव सिंह 10/19 जाति राजपुत, वरदीचन्द पिता धूलचन्द 1/19 जाति कुमाव, शंकरलाल पिता बाबरू 1/19 जाति लोहार व संध्या पत्नि गिरीश 7/19 ब्रह्म्ण के बजाय ललितशंकर पिता गिरधरलाल आमेटा जाति ब्राह्म्ण निवासी भीण्डर के दर्ज किया जाना अपेक्षित है व आराजी संख्या 3770 की तरमीम परिवर्तन कर आराजी संख्या 3771 के दक्षिणी पूर्वी कोने में तथा आराजी संख्या 3770 का वर्तमान हिस्सा आराजी संख्या 3771 में मिलाया जाना अपेक्षित है।

7. हमने पत्रावली को दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर प्रभावित पक्षकार अप्रार्थी ललित शंकर पिता गिरधरलाल आमेटा को जरिये सूचना पत्र तलब किया जिसमें अप्रार्थी ललित शंकर पिता गिरधरलाल आमेटा की मृत्यु होने पर अप्रार्थी के वारिसान फुलवन्ती आमेटा पत्नी ललित शंकर व भारत भूषण पुत्र ललित शंकर व दिग्दर्शन भट्ट पुत्र ललित शंकर ने उपस्थित होकर शपथपूर्वक बयान किया कि उक्त प्रकरण के संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जिसमें अप्रार्थी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है।

8. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो भू–प्रवन्धन के पूर्व व बाद के दस्तावेज जिसमें नक्शा ट्रेस परिशिष्ट– ए परिशिष्ट – बी एवं जमाबन्दी नकल व मिलान खसरा का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया एवं प्रार्थीगण एवं ललित शंकर के वारिसान व तहसीलदार भीण्डर द्वारा की गई बहस पर मनन किया जिससे बंदोबस्त पूर्व जमाबन्दी सम्वत् 2068–71 की खाता संख्या 1422 की आराजी संख्या 3145/1 , रकबा 1–02–05 व आराजी संख्या 3147–1 रकबा 0–0–05 किता 2 कुल रकबा 0–02–10 बीघा भूमि खातेदार ललितशंकर पिता गिरधरलाल आमेटा जाति ब्राह्म्ण निवासी भीण्डर के नाम दर्ज रेकर्ड था जिससे बन्दोबस्त के बाद नवीन जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 1524 की आराजी संख्या 3770 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि खातेदार ललितशंकर पिता गिरधरलाल आमेटा जाति ब्राह्म्ण निवासी के नाम दर्ज रेकर्ड है वनी एवं इसी प्रकार पुराने साबिक खसरा संख्या 3145 रकबा 0–18–15 बीघा, खसरा संख्या 3146 रकबा 0–14, खसरा संख्या 3147 रकबा 0–02–15 बीघा किता 3 कुल रकबा 1–15–10 बीघा को शामिल करके नवीन जमाबन्दी संवत 2078–81 के खाता संख्या 1718 की आराजी संख्या 3771 रकबा 0.3800 हैक्टैयर बनाया गया जिसके वर्तमान में खातेदार मोहनकुंवर पत्नि सुखदेव सिंह हिस्सा 10/19 जाति राजपुत व वरदीचन्द पुत्र धुलचन्द हिस्सा 1/19 जाति कुमावत, शंकरलाल पुत्र बाबरू हिस्सा 1/19 जाति लोहार व संध्या पत्नि गिरीश हिस्सा 7/19 जाति ब्राह्म्ण के नाम साबिक अनुसार हिस्से दर्ज कर खाता वनाया गया है जिसमें मौका रिपोर्ट व रेकर्ड के अवलोकन जिसमें साबिक नक्शा ट्रेस व साबिक रेकर्ड व मिलान खसरा के अवलोकन से हाल आराजी संख्या 3770 रकबा 0.0300

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.11.01 15:49:15 IST
Reason: SelfAttested

हैक्टेयर की तरमीम वर्तमान नक्शे में साबिक नक्शे व रेकर्ड व मिलान क्षेत्रफल अनुसार नहीं की जाकर गलत जगह की गई है जिसे वर्तमान खसरा संख्या 3770 रकबा 0.0300 हैक्टेयर की तरमीम को परिवर्तित कर आराजी संख्या 3771 के दक्षिणी पूर्वी कोने में तथा आराजी संख्या 3770 को वर्तमान आराजी संख्या 3771 में परिशिष्ट बी अनुसार मिलाया जाना उचित प्रतित होता है।

9. पत्रावली का अवलोकन एवं दस्तावेजो एवं पेश किये गये राजस्व नक्शें परिशिष्ट ''A'' एवं ''B'' का अध्ययन किया गया। यह बात सही है कि उक्त पत्रावली में वर्णित सभी खातेदार राजस्व रेकर्ड में दर्ज है लेकिन खातेदार ललित शंकर पिता गिरधर लाल आमेटा की भू–प्रबन्धन के बाद के राजस्व नक्शे में तरमीम भू–प्रबन्धन के पूर्व नक्शें अनुसार नहीं है एवं राजस्व रेकर्ड में अंकन में भिन्नता हुई। तहसीलदार की रिपोर्ट के अनुसार भू–प्रबन्धन के बाद नये नम्बर के आधार पर काश्तकारों का कब्जा भिन्न स्थान पर है। उक्त प्रकरण में भू–प्रबन्धन से पूर्व तरमीम नहीं होने के कारण भू–प्रबन्धन के कार्मिकों द्वारा यह गलती की गई। इसमें किसी भी काश्तकार का रकबा हिस्सा कम नहीं हो रहा है एवं मौके कब्जे के अनुसार काश्तकारों के हक हिस्से अनुसार तरमीम का निवेदन किया है। माननीय जिला कलक्टर महोदय द्वारा समस्त न्यायिक (राजस्व) अधिकारियों कों भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटियों को राज्य सरकार द्वारा दिये गये निर्देशानुसार माननीय राजस्व मण्डल के अपील/एल.आर./6933/2011/उदयपुर में दिये गये निर्णय एवं राजस्व (ग्रुप–6) विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प.6 (12) राज. 16/92/26 दिनांक 20.12.1995 का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। अतः इस आधार पर भू–प्रबन्धन विभाग द्वारा की गई त्रुटि जिसमें काश्तकारों के भू–प्रबन्धन के बाद तरमीम सही नहीं होकर खातेदारी ललितशकर पिता गिरधरलाल आमेटा कब्जे अनुसार तरमीम नहीं करके रेकर्ड में भिन्न कर दी एवं तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत वस्तु स्थिति रिपोर्ट जिसमें काश्तकारों का कब्जा एवं राजस्व रेकर्ड के साथ प्रस्तावित संशोधित तरमीम सहित भेजा गया जिसके आधार पर उस त्रुटि को शुद्ध किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा भीण्डर, पटवार हल्का भीण्डर की जमाबन्दी सवत् 2078–81 के खाता संख्या 1524 की आराजी संख्या 3770 रकबा 0.0300 हैक्टेयर भूमि खातेदार ललितशंकर पिता गिरधरला [illegible] जाति ब्राह्म्ण निवासी के नाम दर्ज रेकर्ड है एवं जमाबन्दी संवत् 2078–81 के खाता संख्या 1718 की आराजी संख्या 3771 रकबा 0.3800 हैक्टैयर बनाया गया जिसके [illegible] खातेदार मोहनकुंवर पत्नि सुखदेव सिंह हिस्सा 10/19 जाति राजपुत व वरदीचन्द पुत्र धुलचन्द हिस्सा 1/19 जाति कुमावत, शंकरलाल पुत्र बाबरू हिस्सा 1/19 जाति लोहार व संध्या पत्नि गिरीश हिस्सा 7/19 जाति ब्राह्म्ण के नाम दर्ज रेकर्ड है जिसे वर्तमान खसरा संख्या 3770 रकबा 0.0300 हैक्टेयर की तरमीम को परिवर्तित कर आराजी संख्या 3771 के दक्षिणी पूर्वी कोने

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.11.01 15:49:15 IST
Reason: SelfAttested

में तथा आराजी संख्या 3770 को वर्तमान आराजी संख्या 3771 में तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तुत नक्शें परिशिष्ट "B" के अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार भीण्डर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे।

11. निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैशल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2023.11.01 15:49:15 IST
Reason: SelfAttested